# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 22/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 18.01.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 18.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

**01.थाना – अहरौला: दुष्कर्म करने के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**

घटना का पूर्व का विवरण-

दिनाँक- 16.03.2024 को वादिनी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाना अहरौला पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी 1. श्याम बहादुर पुत्र जगदम्बा सिंह नि0 समदी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2.आकाश तिवारी पुत्र शिवशंकर तिवारी नि0 तिवारीपुरा (समदी) थाना अहरौला जनपद आजमगढ वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर दुष्कर्म किया गया तथा वीडियो बनाते हुए धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 23/2025 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस बनाम 1. श्याम बहादुर पुत्र जगदम्बा सिंह नि0 समदी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, 2.आकाश तिवारी पुत्र शिवशंकर तिवारी नि0 तिवारीपुरा (समदी) थाना अहरौला जनपद आजमगढ के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना धर्मेन्द्र शर्मा थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 18.01.2025 को थाना प्रभारी धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.श्याम बहादुर सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह निवासी समदी बैसंग का पुरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष 2.आकाश तिवारी पुत्र श्रीराम तिवारी निवासी तिवारीपुरा (समदी) थाना अहरौला जनपद आजमगढ उम्र करीब 26 वर्ष को ग्राम मडना पुलिया से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 23/2025 धारा 70(1)/351(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ में कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**02. थाना अतरौलिया: हत्या के प्रयास में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।**

**पूर्व का विवरण-**

दिनांक 17.09.2024 को वादी मुकदमा रविन्द्र यादव पुत्र रामदास यादव निवासी सिकहुला डिबनिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ लिखित सूचना दिये कि जमीनी विवाद को लेकर विपक्षीगण 1. श्याम लाल 2. देवलाल 3. अच्छेलाल विश्वकर्मा पुत्रगण रामअवध विश्वकर्मा 4. नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सन्तू विश्वकर्मा 5.रवि विश्वकर्मा पुत्र अच्छेलाल विश्वकर्मा 6. रचित विश्वकर्मा पुत्र देवलाल विश्वकर्मा 7.बंटी विश्वकर्मा पुत्र श्यामलाल विश्वकर्मा समस्त निवासीगण सिकहुला डिबनिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के भाई देवानन्द व पुत्र धीरज यादव को एक राय होकर गाली गलौज देते हुये लाठी डंडे, कुल्हाड़ी से मार कर गंभीर चोट पहुंचाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 13/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109/3(5) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 रमेश सिंह द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

आज दिनांक 18.01.25 को उ0नि0 रमेश सिंह व उ0नि0 राजेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1.देवलाल विश्वकर्मा पुत्र रामअवध विश्वकर्मा उम्र 52 वर्ष 2.नागेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र सन्तू विश्वकर्मा उम्र 38 वर्ष व 1 नफर बाल आपचारी उम्र 16 वर्ष नि0गण सिकहुला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ को उनके घर से कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 12.22 बजे पकड़ा गया है। घटनास्थल पर घटना में प्रयुक्त एक कुल्हाडी व दो डंडा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

<u>**थाना- सिधारी**</u>

आज दिनांक- 18.01.2025 को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित SPEL कार्यक्रम के अन्तर्गत माई भारत एप पर रजिस्ट्रेशन कराये गये छात्र/छात्राओं को दिनांक 18.01.2025 को दिये जाने वाले प्रशिक्षण के क्रम में 1. बीट, चौकी, हल्का, थाना, सर्किल, शहरी/ग्रामीण क्षेत्र, जिला, रेंज, जोन और प्रदेश की व्यवस्था, पदाधिकारी और उनके कर्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी, 2. पुलिस यूनिफार्म के सम्बन्ध में जानकारी, 3. जिला स्थित विभिन्न पुलिस प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में जानकारी, 4. राज्य स्तरीय विविध पुलिस प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में जानकारी तथा विभिन्न हेल्प लाइन नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी प्रभारी निरीक्षक शशि चन्द चौधरी, व0उ0नि0 प्रदीप मिश्रा, कम्प्यूटर आपरेटर पप्पू प्रसाद साहनी, महिला आरक्षी शालू सिंह द्वारा दिया गया।